न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 45/2017 **दायरा दिनांक : 20.03.2017**

उनवान

हरदीप सिंह आत्मज श्री जोगेन्द्र सिंह, जाति खत्री, निवासी सोभागपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— अमरजीत कौर पुत्री श्री जोगेन्द्र सिंह, जाति खत्री, निवासी सोभागपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2— इन्द्रजीत कौर पुत्री श्री जोगेन्द्र सिंह, जाति खत्री, निवासी सोभागपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 64/2017 **दायरा दिनांक : 17.04.2017**

उनवान

1— अमरजीत कौर आयु वर्ष पुत्री श्री जोगेन्द्र सिंह, जाति खत्री, निवासी सोभागपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2— इन्द्रजीत कौर पुत्री श्री जोगेन्द्र सिंह, जाति खत्री, निवासी सोभागपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— हरदीप सिंह आत्मज श्री जोगेन्द्र सिंह, जाति खत्री, निवासी सोभागपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2— स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां

..... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओ पी मेहता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 04.04.2018**

ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या — 110/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी ने प्रतिवादीगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम सोभागपुरा, तहसील किशनगंज में आराजी खसरा नम्बर 103 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 104 रकबा 3 बीघा

18 बिस्वा, खसरा नम्बर 105 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 106 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 107 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 108 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 109 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 110 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 111 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 139 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 153 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 154 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 155 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 219 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 232 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा कुल 15 किता की 37 बीघा आराजी स्थित है । ग्राम सोभागपुरा की आराजी खसरा नम्बर 207/1 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में रणजीत सिंह, हरदीप सिंह पिता जोगेन्द्र सिंह बाट बराबर दर्ज है । रणजीत सिंह का स्वर्गवास हो चुका है। वे अविवाहित और निसंतान मरे हैं । प्रतिवादी नम्बर 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके वादिनी और प्रतिवादी नम्बर 2 जो जोगेन्द्र सिंह की पुत्री है का नाम छुपाते हुए इंतकाल खुलवा कर स्वयं को वारिस एवं उत्तराधिकारी बताकर आराजी अपने नाम दर्ज करा लिया है । विवादित आराजी पुश्तैनी है जिसमें वादिनी प्रतिवादी नम्बर 1 और 2 का समान हिस्सा है । इसमें वादिनी का 1/3 हिस्सा निहित है । अतः वादिनी का दावा स्वीकार कर वादिनी का 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित कर आराजी का विभाजन किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.04.2010 को प्रकरण में निर्णय पारित किया जिसके खिलाफ अपील पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2011 से प्रकरण रिमाण्ड किया गया । इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.03.2017 को वादी का दावा स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील संख्या 64/2017 वादिनी अमरजीत कोर और प्रतिवादी नम्बर 2 इन्द्रजीत कौर ने पेश की है और यह कथन किया है कि अधीनस्थ नयायालय में वादिनी का 1/6 हिस्सा और रेस्पोडेंट नम्बर 1

का 2/3 हिस्सा मानते हुए स्थायी निषेधाज्ञा की जारी कर त्रुटि की है जबकि आराजी जोगेन्द्र सिंह के निजी खाते की आराजी थी । वादग्रस्त आराजी में दोनों अपीलांट का 1/3 – 1/3 हिस्सा निहित है । खसरा नम्बर 207/1 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा आराजी में वादिनी का 1/3 हिस्सा निहित है । माननीय न्यायालय के पूर्व में पारित निर्णय के रिमाण्ड निर्देशों की अनुपालना नहीं की है । मनमाना निर्णय पारित किया है । अपीलांट जोगेन्द्र सिंह के साथ उनके जीवनकाल में रहती थी मृत्यु के समय भी उनके साथ रह रही थी । रणजीत सिंह और जोगेन्द्र कौर की मृत्यु सन् 1978 के बाद हुई है । ऐसी स्थिति में अपीलांट का 1/3 हिस्सा निहित है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील संख्या 45/2017 प्रतिवादी हरदीप सिंह ने पेश की है और यह कथन किया है कि 8 तनकीयात कायम की परन्तु किसी भी तनकी का निर्णय पारित नहीं किया है । जोगेन्द्र सिंह की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व ही हो चुकी थी उस समय ओल्ड हिन्दू ला और कोटा सरक्यूलर के अनुसार पुत्रों की मौजूदगी में पुत्री को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है । कब्जे के अभाव में स्थायी निषेधाज्ञा का दावा मेंटेनेबल नहीं है । विवादित आराजी का बेचान जय कुमार व नीलम को किया जा चुका है परन्तु इनको पक्षकार नहीं बनाया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट अपील संख्या 45/17 ने अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड निर्देशों की पालना नहीं की है । तनकीयात कायम की है परन्तु तनकीवार निर्णय नहीं किया है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व ही जोगेन्द्र सिंह की मृत्यु हो चुकी थी उस समय पुत्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट अपील संख्या 64/17 ने कथन किया कि तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है । पिता की मृत्यु पर अपीलांटगण को समान रूप से प्रतिवादी के साथ 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है । 1/6 हिस्सा गलत माना है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर डाक विभाग की रसीद, नकल जमाबंदी सम्वत 2015–18 एक्जीविट पी 1 एक्जीविट पी 2, पी 3, पी 4 भी सलंग्न है । नकल जमाबंदी सम्वत 2012 एक्जीविट पी 5 के अनुसार वादग्रस्त रणजीत सिंह, हरदीप सिंह नाबालिग पिसरान जोगेन्द्र सिंह व वलि मुस0 जोगेन्द्र कौर बेबा जोगेन्द्र सिंह के नाम दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2059–67 एक्जीविट पी 6 जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी कुल 15 किता की 37 बीघा रणजीत सिंह और हरदीप सिंह के खाते में दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2059–67 एक्जीविट पी 7 के अनुसार खसरा नम्बर 207/1 की 5 बीघा 1 बिस्वा आराजी रणजीत सिंह हिस्सा 1/4 हरदीप सिंह हिस्सा 3/4 दर्ज है । इसके अलावा बयान अमरजीत सिंह पी डब्ल्यू 1, मोती लाल पी डब्ल्यू

2, रामकरण पी डब्ल्यू 3 कराये गये हैं । प्रतिवादी की ओर से बयान हरदीप सिंह डी डब्ल्यू 1 कराये गये हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण रिमाण्ड होने के उपरान्त पुनः एक निर्णय दिनांक 14.07.2015 को पारित किया गया है जिसके खिलाफ अपील पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.05.2016 से प्रकरण रिमाण्ड किया गया है । तदउपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अपीलाधीन निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया है जबकि सी पी सी के अनुसार तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । यह अत्यन्त खेद का विषय है कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड होने के उपरान्त सी.पी.सी. की अनुपालना में निर्णय पारित नही किया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

इन तथ्यों के आधार पर दोनो अपीलें अपील संख्या 45/17 और 64/17 दोनो ही आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2017 अपास्त किया जाता है। । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अन्दर दो माह नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीरवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.07.2017 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा